

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153;
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 550]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 9 सितम्बर 2008—भाद्र 18, शक 1930

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Bhopal, the 8 September 2008

No. F-1-002/2007/XIII.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 104 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) the Government hereby makes the following rules, namely:

RULES

1. Short Title and commencement :—

- (a) These rules may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Form and time of State Commission's Annual Accounts) Rules, 2008;
- (b) They shall come into force on the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Electricity Act, 2003;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission constituted under Section 82 of The Electricity Act, 2003;
- (c) "Chairperson" means the Chairperson of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (d) "Form" means a form appended to these Rules;
- (e) "Schedule" means a schedule appended to these rules;
- (f) "Drawing and Disbursing Officer (DDO)" means an officer designated by the Commission to draw and make payment on behalf of the Commission;
- (g) "Accounts Officer" means an officer responsible for accounts function as nominated by Chairman.

3. Form in which and the time at which the State Commission shall prepare its Annual Accounts :—

- (a) The Commission shall prepare the Annual Statement of Accounts for every financial year in the manner specified below:
 - (i) Receipts and Payments Account in Form-A
 - (ii) Income and Expenditure Accounts in Form-B.
 - (iii) Balance Sheet in Form-C.
- (b) The Annual Statement of Accounts shall be finalized by the Commission by 31st May following the year to which the accounts relate to.

4. Approval and Audit of Annual Statement of Accounts.—(a) After finalization of Annual Statement of Accounts at the end of the financial year, the DDO shall submit Annual Statement of Accounts to the Commission for approval. After approval of the Commission the Annual Statement of Accounts shall be sent to the Comptroller & Auditor General of India (CAG) / Accountant General (AG) or any other person appointed by him, for audit. These approved accounts shall be signed on behalf of the Commission by at least two Members; one of them shall be the Chairperson, where there is one. These accounts shall also be signed by the Secretary of the Commission.

(b) The audited Annual Statement of Accounts together with the audit report shall be forwarded to the State Government within six months from the end of such financial year, for laying before the Legislature.

5. Internal Audit of the Commission.—(a) Internal Audit of the Commission shall be entrusted to the officers/ official of the Commission designated by the Chairperson or may entrust the work of internal audit to a firm of Chartered Accountants.

(b) The purpose of the internal audit, as an independent function outside the function of the accounts keeping, is to ensure that the accounts of the Commission represents the facts and that financial records like cash book, Ledgers, Stock Registers are maintained correctly and up-to-date.

(c) The Commission may decide the nature, scope and extent of internal audit from time to time.

6. Format of Book Keeping and Ledgers.—(a) The Commission shall maintain the records in the format as shown in Form - D, Form - E, Form - F & Form - G.

(b) The above mentioned Books of Accounts and other relevant records shall be kept in the Commission's office. It shall be the responsibility of Accounts Officer to ensure that the Books of Account and other relevant records are properly maintained and securely preserved in safe custody and produced to audit as and when required.

(c) The Chairperson may decide in consultation with the Accounts Officer for maintaining any other accounting records.

FORM-A

Name of the entity : MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
 RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE PERIOD / YEAR ENDED _____

Account Head (1)	RECEIPTS (2)			Account Head (5)	PAYMENTS (6)	(Amount - Rs)	
		Current Year (3)	Previous Year (4)			Current Year (7)	Previous Year (8)
	I. To Opening Balances			# 11	By Salary, Allowances		
	(a) Cash in Hand			# 12	By Wages		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(b) Bank Balance						(i) Overtime Allowance
	To Grant-in-Aid from State Govt.						(ii) Other Establishment charges.
	To Loan From Govt.						(iii) Staff Welfare expenses
0601	To Petition fees		# 21				By Traveling Allowance
0662	To License fees						(i) Foreign Travels
0663	To Penalty						(ii) Domestic Travels
	To Investments						(iii) Local Conveyance Expenses.
	(i) To Face value of investment encashed.		# 22				By Office Expenses
	(ii) To Interest on investment.		# 24				By Exam & Training
	To Debt/Deposit Receipts		# 26				By Seminar, Workshop, Conference.
	(a) Recovery of Advance from Staff.		# 31				By Payments for Professional Services.
	(i) House Building Advance.						(i) Auditors Remuneration/ Legal Fee.
	(ii) Motor Car/Personal Computer Advance.		# 33				By Maintenance Work
	(iii) Scooter/Motor Cycle Advance.		# 34				By Material & Supplies
	(iv) Other Advances (to be specified).						By Repayment of Loan
	(v) Recoupment of GPF Advance paid to deputationists.						By Advances to Staff
	(b) Recovery of Contingent Advance.						(i) House Building Advance
	(i) Advance to PWD						(ii) Motor Car/Personal Computer Advance.
	(ii) Advance to Suppliers						(iii) Scooter/Motor Cycle Advance.
	(iii) Other Advances (to be specified).						(iv) Contingent Advance
	(c) Other Deposits						(v) Advance to PWD
	(i) Security Deposits						(vi) Advance to Suppliers/ Contractors.
	(ii) Earnest Money Deposits.						(vii) Other Advances (to be specified).
	(iii) Any other deposit (to be specified).						By Contributions
	To Remittances/Receipts						(i) Pension and Gratuity
	(a) Recovery from deputationists.						(ii) Leave Salary & Pension Contributions.
	(b) License Fee						(iii) Other Contributions (to be specified)
	(c) Income Tax						By Expenditure on Fixed Assets and Capital Works-in-Progress.
	(d) Surcharge						(i) Land
	(e) Sales Tax						(ii) Buildings
	(f) Central Govt Health Scheme.						(iii) Furniture and Fixtures
	(g) Postal Life Insurance						(iv) Machinery and Equipments.
	(h) Central Govt. Employees Group Insurance Scheme.						(v) Motor Vehicles
							(vi) Books and Publications
							(vii) Any other (to be specified).

10.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Any other (to be specified)					
	To Other Receipts					By Other Adjustments/
	(i) Grant from Power Finance Corporation.					Remittances.
	(ii) Grant by Foreign Donor					(a) GPF/CPF etc. recovered from the deputationists.
800	(iii) Sale of Tender Documents.					(b) License fee
	(iv) Processing Fee					(c) Income Tax
	(v) Interest on deposits					(d) Sales Tax
	(vi) Certified Copying Fee					(e) Central Govt. Health Scheme.
	(vii) Misc. receipts					(f) Postal Life Insurance
	(viii) Sale of old Newspapers					(g) CGEGIS/CGEIS
	(ix) Grant from Central Govt.					(h) House Building Advance
						(i) Motor Car/Computer Advances.
						(j) Scooter/Motor cycle Advances.
						Other Recoveries (to be specified).
						By Other Administrative Expenses.
						(i) Advertisement and Publicity.
						(ii) Freight and Forwarding Expenses.
						(iii) Packing Charges
						(iv) Subscription Expenses
						(v) Labour and Processing Expenses.
						(vi) Cartage and Carriage Inwards.
						(vii) Insurance
						(viii) Excise Duty
						(ix) Irrecoverable Balances written off.
						(x) Others (to be specified)
						3. By Investments and Deposits Made :
						(i) Investments
						(ii) Deposits
						(a) Security Deposit
						(b) Earnest Money Deposit.
						By Closing Balance
						Cash
						Bank
	TOTAL					TOTAL

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chair

Bhopal

Dated the

FORM - B

Name of the entity: **MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS
FOR THE PERIOD/YEAR ENDED _____

(Amount - Rs.)

INCOME	Current Year	Previous Year
1. By Grants/Subsidies 1.1 State Government 1.2 Other Sources (to be specified) 2 By Seminars and Conferences 3. By Consultancy 4. By Fees/Subscriptions/fines 4.1 Fee for Petitions 4.2 License Fee 4.3 Penalty 4.4 Other Receipts (i) Grant from Power Finance Corporation (ii) Grant by Foreign Donor (iii) Sale of Tender Documents (iv) Processing Fee (v) Interest on Deposits (vi) Certified Copying Fee (vii) Misc. Receipts (viii) Sale of old Newspapers (ix) Grant from Central Govt. (x) Accrued Income 4.5 Any other Income (to be specified) 5. By Investment (Income on investment from earmarked/endow funds transferred to funds). 6. By Royalty, Publications etc. 6.1 Royalty 6.2 Publications 7. By Interest 7.1 Interest on Deposits (to be specified) 7.2 Interest on Loans and Advances 7.3 Interest on Investment 7.4 Interest on Cash at Bank 7.5 Any other (to be specified) 8. By Other Income 8.1 Medical Health Care facilities 8.2 Sale of Newspapers 8.3 Gifts 8.4 Gains on Sale of Assets 8.5 Staff Car Recoveries 9. By Excess of Expenditure over Income (transferred to Capital fund account)		
10. Total (A)		

EXPENDITURE	Current Year	Previous Year
1. To Salary and Allowances 1.1 Pay & Allowances of Chairman & Members 1.2 Pay & Allowances of Officers and Establishments 1.3 Pay & Allowances of Staff 1.4 Honorarium 1.5 Overtime Allowance 1.6 Medical and Health Care Facilities 1.7 Bonus 1.8 Any Other Establishment Charges (to be specified) 2. To Payment on Professional & Other Services 3. To Travel Expenses 3.1 Domestic Travels - Chairman, Members & Other Officers - Staff. 3.2 Foreign Travels - Chairman, Members & Other Officers - Staff. 4. To Other Administrative Expenses 4.1 Telephone and Fax 4.2 Rent, Rate & Taxes 4.3 News Paper/Periodicals 4.4 Advertisement and Publicity 4.5 Postage and Telegram 4.6 Liveries 4.7 Water & Electricity 4.8 Local Conveyance 4.9 Any other (to be specified) 5. To Stationery & Printing 5.1 Stationery 5.2 Printing 6. To Publications 7. To Miscellaneous and Other Expenses 8. To Repair and Maintenance 8.1 Buildings 8.2 Machinery & Equipment 8.3 Furniture & Fixtures 8.4 Vehicles 9. To Petrol, Oil & Lubricants 10. To Hospitality Expenses 11. To Audit Fees 12. To Legal Charges 13. To Provident Fund & Other Contributions 13.1 Pension & Gratuity (including Commuted Value of Pension) 13.2 Contribution to CPF		

EXPENDITURE	Current Year	Previous Year
13.3 Deposit Linked Insurance Scheme		
13.4 Pension Contribution		
13.5 Leave Salary Contribution		
13.6 Gratuity Contribution		
14. To Interest		
14.1 Interest on GPF		
14.2 Interest on CPF		
14.3 Any other (to be specified)		
15. To Group Insurance Scheme		
15.1 CGEGIS - Saving Fund		
- Insurance Fund.		
15.2 CGEIS - Saving Fund		
- Insurance Fund.		
16. To Depreciation		
17. To Loss on Sale of Assets		
18. To Bad-debts written off		
19. To Excess of Income over Expenditure (Transferred to Capital Fund Account)		
20. Outstanding Expenses		
21. TOTAL (B)		

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

Bhopal :

Dated the

FORM - C

NAME OF THE ENTITY : MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
BALANCE SHEET AS AT

(Amount Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
1. Corpus/Capital Fund	1		
2. Other Funds			
2.1 Provident Funds			
2.2 Others (to be specified)			
3. Reserves and Surplus	2		
4. Earmarked/Endowment Funds	3		
5. Secured Loans and Borrowings	4		

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES		Schedule	Current Year	Previous Year
6.	Unsecured Loans and Borrowings	5		
7.	Current Liabilities and Provisions	6		
	TOTAL			
	ASSETS			
1.	Fixed Assets	7		
2.	Capital Work-in-Progress			
3.	Investments - From Earmarked/Endowment Funds of MPERC	8		
4.	Sundry Debtors			
5.	Current Assets, Loans & Advances	9		
6.	Cash and Bank Balance			
	6.1 Cash in Hand			
	6.2 Cash at Bank			
	6.3 With Treasury			
	6.4 Cheques/Drafts in Hand			
	6.5 Imprest			
7.	Miscellaneous Expenses (To the extent not written off)			
	TOTAL			

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT

Schedule - 1 Corpus / Capital Fund

	Current Year	Previous Year
Balance at the beginning of the year		
Add : Contributions towards Corpus/Capital Fund		
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account.		
BALANCE AT THE YEAR - END		

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT _____

Schedule - 2: Reserves and Surplus

	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve		
As per last Account		
Addition during the year		
Less : Deductions during the year		
2. Revaluation Reserve		
As per last Account		
Addition during the year		
Less : Deductions during the year		
3. Special Reserves		
As per last Account		
Addition during the year		
Less : Deductions during the year		
4. General Reserve		
As per last Account		
Addition during the year		
Less : Deductions during the year		
TOTAL		

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT _____

Schedule - 3 : EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

	Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
(a) Opening balance of the funds						
(b) Additions to the Funds:						
(i) Donations/Grants						
(ii) Income from Investment made on Account of Funds						
(iii) Other additions (specify nature)						
Total (a+b)						
(c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds						
(i) Capital Expenditure						
- Fixed Assets						
- Others						
Total						

	Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
(ii) Revenue Expenditure						
- Salaries, Wages and allowances etc.						
- Rent						
- Other Administrative Expenses						
Total						
TOTAL (c)						

NET BALANCE AS AT THE YEAR -END
(a+b-c)

Notes.— (1) Disclosures shall be made under relevant Heads based on conditions attaching to the Grants.

(2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT _____
Schedule - 4: SECURED LOANS and BORROWINGS

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
(a) Term Loans		
(b) Interest accrued and due		
4. Banks		
(a) Term Loans		
Interest accrued and due		
(b) Other Loans (specify)		
- Interest accrued and due		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Loans		
7. Others (Specify)		
TOTAL		

Note.—Amounts due within one year.

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT _____
Schedule - 5: UNSECURED LOANS and BORROWINGS

	Current Year	Previous Year
1. Central Government		
2. State Government		
3. Financial Institutions		
4. Banks :		
(a) Term Loans		
(b) Other Loans (specify)		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Others (specify)		
TOTAL		

Note.—Amounts due within one year

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT _____
Schedule - 6: CURRENT LIABILITIES and PROVISIONS

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances		
2. Sundry Creditors:-		
3. Advances Received		
4. Interest accrued but not due on:		
(a) Secured Loans/Borrowings		
(b) Unsecured Loans/Borrowings		
5. Statutory Liabilities:		
(a) Overdue		
(b) Others		
6. Other Current Liabilities		
TOTAL (A)		
B. PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity		
3. Superannuation/Pension		
4. Accumulated Leave Encashment		
5. Others (Specify)		
TOTAL (B)		
TOTAL (A+B)		

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT

Schedule - 7 : Fixed-assets

(Amount Rs.)

Asset Group	Gross Block				Depreciation					Net Block		
	At the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Reclassification	At the end of the year	At the end of previous years	Depreciation during the year	Adjustments on deductions	Reclassification	At the end of the year	At the end of the year	At the end of the year
Land and Land Rights												
Building												
Plant and Machinery												
Vehicles												
Furniture and Fixtures												
Office Equipment												
Other Assets												
TOTAL												
TOTAL FOR PREVIOUS YEAR												

Notes.— 1. Previous year's figures should be shown in brackets below each figure.

2. Disclose by way of note that "Gross block does not include value of small and low value assets each costing below Rs.5000 charged to Income and Expenditure account" during the year Rs.....

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT

Schedule - 8 INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount - Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other Approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT

Schedule - 9: CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC

(Amount - Rs.)

Current Year

Previous Year

A. CURRENT ASSETS:**1. Inventories:**

- (a) Stores and Spares
- (b) Loose Tools
- (c) Stock-in-trade
 - (i) Finished Goods
 - (ii) Work-in-progress
 - (iii) Raw Materials

2. Sundry Debtors:

- (a) Debts Outstanding for a period exceeding six months
- (b) Others

3. Cash & bank balances (including cheques/drafts and imprests):

- (a) Cash in Hand
- (b) Bank Balances
 - i. With Scheduled Banks:
 - On Current Accounts
 - On Deposit Accounts (includes margin money)
 - On Savings Accounts
- (c) With Treasury
- (d) Cheques/Drafts in hand
- (e) Imprest Account

TOTAL (A)**B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS****1. Loans:**

- (a) Staff-
- (b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity
- (c) Other(Specify)

2. Advances and other amounts recoverable in Cash or in Kind or for value to be received:

- (a) On Capital Account
- (b) Prepayments
- (c) Others

3. Income Accrued:**4. On Investments from Earmarked/ Endowment Funds**

- (a) On Investments - Others
- (b) On Loans and Advances
- (c) Others (includes income due unrealised -Rs.....)

4. Claims Receivable**5. Deposits****TOTAL (B)****TOTAL (A+B)**

Accounts Officer

Commission Secretary

Member

Chairman

LEDGER LIST OF EXPENDITURE HEADS

1. **11 - Salary, Allowances**
 - a. 001 Salary
 - b. 003 Dearness Allowance
 - c. 006 House Rent Allowance
 - d. 008 Other Allowances
 - e. 009 Medical Reimbursement
 - f. 010 Leave Travel Concession
 - g. 011 Festival Advance
 - h. 016 Grain Advance
 - i. 018 Medical Advance
2. **12 - Wages**
 - i. Overtime Allowance
 - ii. Other Establishment Charges
 - iii. Staff Welfare Expenses
3. **21 - Traveling Allowance**
 - i. Traveling Allowance on Tour, etc.
 - ii. Foreign Travels
 - iii. Domestic Travels
 - iv. Local Conveyance Expenses
4. **22 - Office Expenses**
 - 001 Postage and Telegram Expenses
 - 002 Telephone Expenses
 - 003 Furniture and Office Equipment
 - 004 Books and Periodicals
 - 005 Electricity and Water Charges
 - 006 Dresses
 - 007 Printing, Stationery and Forms
 - 008 Petrol, Oil and Lubricants
 - 009 Rent, Tax and Local Tax
5. **24 Exams and Training**
 - 001 Exams
 - 002 Training
6. **26 Seminar, Workshop, Conference**
7. **31 Payments for Professional Services**
 - 003 Fees for Advocates
8. **33 Maintenance Work**
 - 01 Maintenance of Fixed Assets
9. **Repayment of Loans**
10. **34 Material and Supplies**
 - 001 Purchase of Materials

11. **Other Administrative Expenses**
 - (i) News Paper/Periodicals
 - (ii) Liveries
 - (iii) Any other (to be specified)
12. **Publications**
13. **Miscellaneous and Other Expenses**
14. **Repair and Maintenance**
 - (i) Buildings
 - (ii) Machinery & Equipment
 - (iii) Furniture & Fixtures
 - (iv) Vehicles
15. **Hospitality Expenses**
16. **Audit Fees**
17. **Legal Charges**
18. **Provident Fund & Other Contributions**
 - (i) Pension & Gratuity (including Commuted Value of Pension)
 - (ii) Contribution to CPF
 - (iii) Deposit Linked Insurance Scheme
 - (iv) Pension Contribution
 - (v) Leave Salary Contribution
 - (vi) Gratuity Contribution
19. **Interest**
 - (i) Interest on GPF
 - (ii) Interest on CPF
 - (iii) Any other (to be specified)
20. **Group Insurance Scheme**
 - (i) CGEGIS - Saving Fund
 - Insurance Fund.
 - (ii) CGEIS - Saving Fund
 - Insurance Fund.
21. **Depreciation**
22. **Loss on sale of Assets**
23. **Bad-debts written off**
24. **Excess of Income over Expenditure (Transferred to Capital Fund Account)**
25. **Outstanding Expenses**
26. **Repayment of Loan**

27. Advances to Staff

- (i) House Building Advance
- (ii) Motor Car/Personal Computer Advance
- (iii) Scooter/Motor Cycle Advance
- (iv) Contingent Advance
- (v) Advance to PWD
- (vi) Advance to Suppliers/Contractors
- (vii) Other Advances (to be specified)

28. Contributions

- (i) Pension and Gratuity
- (ii) Leave Salary & Pension Contributions
- (iii) Other Contributions (to be specified)

29. Expenditure on Fixed Assets and Capital Works-in-Progress

- (i) Land
- (ii) Buildings
- (iii) Furniture and Fixtures
- (iv) Machinery and Equipments
- (v) Motor Vehicles
- (vi) Books and Publications
- (vii) Any other (to be specified)

30. Other Adjustments/Remittances

- (k) GPF/CPF etc. recovered from the deputationists.
- (l) License Fee
- (m) Income Tax
- (n) Sales Tax
- (o) Central Govt. Health Scheme
- (p) Postal Life Insurance
- (q) CGEGIS/CGEIS.
- (r) House Building Advance
- (s) Motor Car/Computer Advances
- (t) Scooter/Motor cycle Advances
- (u) Other Recoveries (to be specified)

31. Other Administrative Expenses

- (i) Advertisement and Publicity
- (ii) Freight and Forwarding Expenses
- (iii) Packing Charges
- (iv) Subscription Expenses
- (v) Labour and Processing Expenses
- (vi) Cartage and Carriage Inwards
- (vii) Insurance Excise Duty
- (viii) Irrecoverable Balances written off
- (ix) Others (to be specified)

32. Investments and Deposits Made

- (i) Investments
- (ii) Deposits
 - (c) Security Deposit
 - (d) Earnest Money Deposit

Date
Month

Form D

Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, Bhopal

Proforma for Cash Book

RECEIPTS

PAYMENTS

Date & Month	Voucher No.	Particulars	L.F.	Cash	Bank	Total Amount	Date & Month	Voucher No.	Particulars	L.F.	Cash	Bank	Total Amount
--------------	-------------	-------------	------	------	------	--------------	--------------	-------------	-------------	------	------	------	--------------

Form E

Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, Bhopal

Proforma for Ledger

A/c Of

Month & Date	Particulars	CBF	Debit Rs	Credit Rs	Balance	CR/DR
--------------	-------------	-----	----------	-----------	---------	-------

FORM-F

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Proforma for Stock Register

Name of

Article

Month & Date	Particulars	Bill No.	Received	Issue	Balance Quantity	Remarks
--------------	-------------	----------	----------	-------	------------------	---------

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Proforma for Fees Register

S.No.	Date	Name of Party	Mode of Payment		Petition	License	Penalty	Other Receipts	Total	Remarks
			Bank Draft No.	Name of Bank	Cash					

LEDGER LIST OF RECEIPT HEADS

1. To Grant-in-Aid from State Govt.
2. To Loan From Govt.
3. To Petition fees
4. To License Fees
5. To Penalty
6. To Investments
 - (i) To Face value of Investment encashed
 - (ii) To Interest on Investment
7. To Debt/Deposit Receipts
 - (a) Recovery of Advance from Staff
 - (i) House Building Advance
 - (ii) Motor Car/Personal Computer Advance
 - (iii) Scooter/Motor Cycle Advance
 - (iv) Other Advances (to be specified)
 - (v) Recoupment of GPF Advance paid to deputationists.
 - (b) Recovery of Contingent Advance
 - (i) Advance to PWD
 - (ii) Advance to Suppliers
 - (iii) Other Advances (to be specified)
8. Other Deposits
 - (i) Security Deposits
 - (ii) Earnest Money Deposits
 - (iii) Any other deposit (to be specified)
9. To Remittances/Receipts
 - (a) Recovery from Deputationists
 - (b) License Fee
 - (c) Income Tax

- (d) Surcharge
- (e) Sales Tax
- (f) Central Govt Health Scheme
- (g) Postal Life Insurance
- (h) Central Govt Employees Group Insurance Scheme

Any other (to be specified)

10. To Other Receipts

- (i) Grant from Power Finance Corporation
- (ii) Grant by Foreign Donor
- (iii) Sale of Tender Documents
- (iv) Processing Fee
- (v) Interest on Deposits
- (vi) Certified Copying Fee
- (vii) Misc. Receipts
- (viii) Sale of old Newspapers
- (ix) Grant from Central Govt.
- (x) Medical Health Care facilities
- (xi) Gifts
- (xii) Gains on sale of Assets

11. To Seminars and Conferences

12. To Consultancy

13. To Royalty, Publications etc.

- 13.1 Royalty
- 13.2 Publications

14. To Interest

- 14.1 Interest on Deposits (to be specified)
- 14.2 Interest on Loans and Advances
- 14.3 Interest on Investment
- 14.4 Interest on Cash at Bank

15. Staff Car Recoveries

16. Increase/(Decrease) in Stock of Finished Goods and Works - in - Progress

17. Excess of Expenditure over Income (transferred to Capital fund account)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.B. AGRAWAL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2008

क्र. एफ.3-03-2008-तेरह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (राज्य आयोग के वार्षिक लेखे के प्ररूप एवं समय अवधि) नियम, 2004 का हिन्दी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. अग्रवाल, अपर सचिव.

क्र. एफ. 1-002-2007-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 104 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, शासन द्वारा निम्न नियम बनाये जाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—(क) ये नियम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (राज्य आयोग के वार्षिक लेखे के प्ररूप एवं समयावधि) नियम, 2008 कहलायेंगे।

(ख) ये नियम मध्यप्रदेश शासन के "शासकीय राजपत्र" में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा.—इस विनियम में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग जिसका गठन विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अधीन किया गया है;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के अध्यक्ष;

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न किये गये प्ररूप;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों के साथ संलग्न की गई अनुसूची;

(च) "आहरण एवं वितरण अधिकारी" से अभिप्रेत है, आयोग द्वारा आयोग की ओर से भुगतान के आहरण तथा वितरण हेतु पदाभिहित किया गया अधिकारी;

(छ) "लेखाधिकारी" से अभिप्रेत है, अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया गया अधिकारी जो लेखा संबंधी कृत्यों हेतु उत्तरदायी होगा।

3. निर्धारित प्ररूप तथा समयावधि जिसके अनुसार राज्य आयोग द्वारा उसका वार्षिक लेखा तैयार किया जाएगा.—(क) आयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्न विनिर्दिष्ट की गई विधि अनुसार लेखे का वार्षिक विवरण-पत्र तैयार किया जावेगा:

(i) प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा प्ररूप-अ में

(ii) आय तथा व्यय लेखा (विवरण-पत्र) प्ररूप-ब में

(iii) तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) प्ररूप-स में

(घ) लेखे का वार्षिक विवरण-पत्र, उस वर्ष जिससे कि वह संबंधित है, के पश्चात् आने वाली तिथि 31 मई तक अन्तिम किया जावेगा।

आयोग
काशित

4. लेखे के वार्षिक विवरण-पत्र का अनुमोदन तथा अंकेक्षण.—(क) वित्तीय वर्ष के अंत में, लेखे के वार्षिक विवरण-पत्र को आभित किया जाने के उपरान्त, आहरण तथा वितरण अधिकारी द्वारा लेखे का वार्षिक विवरण आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा। लेखे के वार्षिक विवरण-पत्र के अनुमोदन उपरान्त, आयोग द्वारा इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को अंकेक्षण हेतु प्रेषित किया जावेगा। इस अनुमोदित लेखे को आयोग की ओर से कम से कम दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा, उनमें से एक वहां का अध्यक्ष होगा। इस लेखे को आयोग के सचिव द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जावेगा।

व.

ती

(ख) लेखे का अंकेक्षित वार्षिक विवरण-पत्र, अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त से छः माह के अन्दर, राज्य शासन को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने हेतु अग्रेषित किया जावेगा।

5. आयोग द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण.—(क) आयोग का आन्तरिक अंकेक्षण अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित किसी पदाधिकारी/कार्यालयीन कर्मचारी को सौंपा जावेगा अथवा आन्तरिक अंकेक्षण का कार्य सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) संस्था को सौंपा जा सकता है।

(ख) आन्तरिक अंकेक्षण का प्रयोजन, लेखा पालन (Account Keeping) से परे एक स्वतंत्र कार्य है जो लेखा पालन के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करता है कि आयोग का लेखा तथ्यों को प्रदर्शित करता है तथा वित्तीय अभिलेख, जैसे कि रोकड़-बही (Cash Book), खाता-बही (Ledger), स्कंध-पंजी (Stock Register) शुद्ध रूप से तथा अद्यतन संधारित किये गये हैं।

(ग) आयोग समय-समय पर आन्तरिक अंकेक्षण के स्वरूप, क्षेत्र तथा विस्तार के संबंध में निर्णय ले सकेगा।

6. पुस्तपालन (Book Keeping) तथा खाता-बही (Ledgers) के प्ररूप.—(क) आयोग द्वारा अभिलेखों का संधारण यथादर्शित प्ररूप-प, प्ररूप-ड, प्ररूप-च तथा प्ररूप-छ में किया जावेगा।

(ख) उपरोक्त दर्शाई गई लेखा संबंधी पुस्तकों तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को आयोग के कार्यालय में संधारित किया जावेगा। लेखा अधिकारी का यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व होगा कि लेखा संबंधी पुस्तकें उचित रूप से संधारित की जाती हैं तथा सुरक्षित रूप से तात्कालिक अभिरक्षा (Safe Custody) में परिक्षित की जाती हैं तथा जब और जहां अपेक्षित हो अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की जाती हैं।

(ग) अध्यक्ष लेखाधिकारी से परामर्श से, अन्य लेखा अभिलेखों के संधारण हेतु निर्णय ले सकेगा।

प्ररूप-अ

संस्था का नाम : मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल

..... को समाप्त होने वाली अवधि/वर्ष हेतु प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा
(Receipts and Payments Account)

(राशि रुपये में)

लेखा शीर्ष	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	लेखा शीर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1. प्रारंभिक शेष—

(क) नगद शेष (हस्तस्थ रोकड़)

(ख) बैंक शेष

राज्य शासन से सहायतानुदान (Grant-in-Aid)

शासन से प्राप्त ऋण

11 वेतन, भत्ते

12 मजदूरी

(i) अधिसमय (overtime) भत्ता

(ii) अन्य स्थापना प्रभार

(iii) कर्मचारी कल्याण व्यय

21 यात्रा भत्ते

0601	याचिका शुल्क	
0602	अनुज्ञप्ति शुल्क	(i) विदेश यात्राएं
0603	शास्ति	(ii) घरेलू यात्राएं
	विनियोग (Investments)	(iii) स्थानीय यात्रा व्यय
	(i) भुनाए गये विनियोग के अंकित मूल्य (Face Value)	# 22 कार्यालय व्यय
	(ii) विनियोग से प्राप्त व्याज ऋण/जमा प्राप्तियों	# 24 परीक्षा तथा प्रशिक्षण
	(क) पदाधिकारियों को प्रदाय किये गये अग्रिम से वसूली.	# 26 विचार-गोष्ठी (सेमीनार), कार्यशाला (वर्कशॉप), सम्मेलन (कॉन्फ्रेंस)
	(i) गृह-निर्माण अग्रिम	# 31 व्यावसायिक सेवाओं हेतु भुगतान
	(ii) मोटर कार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम	(i) अकेसकों का पारिश्रमिक/विधि शुल्क
	(iii) स्कूटर/मोटर सायकल अग्रिम	# 33 संचारण कार्य
	(iv) अन्य अग्रिम (उल्लेख करें)	# 34 सामग्री एवं सामग्री प्रदाय
	(v) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ पदाधिकारियों को भुगतान किये गये सामान्य भविष्य निधि (GPF) से प्रतिपूर्ति द्वारा.	ऋण की अदायगी
	(ख) आकस्मिक अग्रिम की वसूली	पदाधिकारी को अग्रिम
	(i) लोक निर्माण विभाग को अग्रिम	(i) गृह निर्माण अग्रिम
	(ii) सामग्री-प्रदायकर्ताओं को अग्रिम	(ii) मोटर कार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम.
	(iii) अन्य अग्रिम राशियां (उल्लेख करें)	(iii) स्कूटर/मोटर सायकल अग्रिम
	(स) अन्य जमा राशियां	(iv) आकस्मिक अग्रिम (Contingent Advance).
	(i) प्रतिभूति निक्षेप से	(v) लोक निर्माण विभाग को अग्रिम
	(ii) धरोहर राशि से	(vi) सामग्री-प्रदायकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम.
	(iii) अन्य कोई जमा राशियां (उल्लेख करें)	(vii) अन्य अग्रिम राशियां (उल्लेख करें)
	प्रेषण (Remittances)/प्राप्तियां	अंशदान (Contribution)
	(क) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ पदाधिकारियों से वसूली.	(i) पेंशन तथा उपादान
	(ख) अनुज्ञप्ति शुल्क	(ii) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान
	(ग) आयकर	(iii) अन्य अंशदान राशियां (उल्लेख करें)
	(घ) अधिभार	स्थायी परिसम्पत्तियों तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों पर व्यय
	(ङ) विक्रय क्रय	(By Expenditure on Fixed Assets and Capital Works in Progress)
	(च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)	(i) भूमि
		(ii) भवन
		(iii) फर्नीचर तथा फिक्सचर्स
		(iv) मशीनरी तथा उपकरण

- (७) डाक जीवन बीमा (पोस्टल लाइफ इन्स्योरेंस).
- (८) केन्द्रीय शासन शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (Central Govt. Employees Group Insurance Scheme).
अन्य कोई (उल्लेख करें).
अन्य प्राप्ति को
- (i) पावर फ़ायर्नेस कॉर्पोरेशन से अनुदान.
- 800 (ii) विदेशी दानकर्ता (Donor) से अनुदान.
- (iii) निविदा प्रपत्रों का विक्रय
- (iv) आदेशिका शुल्क (Processing Fee)
- (v) जमा राशियों पर व्याज
- (vi) प्रतिलिपि प्रमाणीकरण शुल्क
- (vii) विविध प्राप्ति
- (viii) समाचार-पत्रों की रद्दी का विक्रय.
- (ix) केन्द्र शासन से अनुदान
- (Equipments).
- (v) मोटर वाहन
- (vi) पुस्तकें तथा प्रकाशन
- (vii) अन्य कोई (उल्लेख करें).
अन्य सम्भावित/प्रेषण द्वारा
- (क) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों से सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि (Contributory Provident Fund-CPF) वसूली
- (ख) अनुज्ञप्ति शुल्क
- (ग) आय-कर
- (घ) विक्रय कर
- (ङ) केन्द्रीय शासन स्वास्थ्य योजना
- (च) डाक जीवन बीमा (पोस्टल लाइफ इन्स्योरेंस)
- (छ) केन्द्रीय शासन शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (Central Govt. Employees Group Insurance Scheme-CGEIS/केन्द्रीय शासन शासकीय कर्मचारी बीमा योजना (Central Govt. Employees Insurance Scheme-CGEIS)
- (ज) गृह निर्माण अग्रिम
- (झ) मोटर कार/कम्प्यूटर अग्रिम
- (ञ) स्कूटर/मोटर सायकल अग्रिम
अन्य वसूलियां (उल्लेख करें)
अन्य प्रशासकीय व्ययों द्वारा
- (i) विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार
- (ii) परिवहन शुल्क (Freight) तथा अग्रेषण (Forwarding) व्यय
- (iii) संवेष्टन (Packing) प्रभार
- (iv) अभिदान (Subscription) व्यय
- (v) मजदूरी तथा उपचारण (प्रोसेसिंग) शुल्क.
- (vi) आन्तरिक दुलाई तथा परिवहन (Cartage and Carriage Inwards).

- (vii) बीमा
 (viii) उत्पादन शुल्क
 (ix) अपलेखित वसूली करने के
 अयोग्य बकाया राशियां
 (x) अन्य (उल्लेख करें)
 3. विनियोग तथा जमा की गई
 राशियों द्वारा.
 (i) विनियोग राशियां
 (ii) जमा राशियां
 (क) प्रतिभूति निक्षेप
 (ख) धरोहर राशि निक्षेप
 रोकड़ बाकी (Closing Balance)
 द्वारा रोकड़ बाकी
 बैंक शेष.

योग . .

योग . .

लेखाधिकारी

आयोग सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

तिथि

भोपाल

प्ररूप-ब

संस्था का नाम : मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

..... को समाप्त होने वाली समयावधि/वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(Income and Expenditure Accounts)

(राशि रुपये में)

आय (1)	चालू वर्ष (2)	पूर्व वर्ष (3)
1. अनुदान-सहायिकी (सवसिडी) से प्राप्तियां		
1.1 राज्य शासन से		
1.2 अन्य स्रोत से (उल्लेख करें).		
2. विचार-गोष्ठियों तथा सम्मेलनों से		
3. परामर्श से		
4. शुल्क/अंशदान/अर्धदण्डों से		
4.1 याचिकाओं हेतु शुल्क		
4.2 अनुज्ञप्ति शुल्क		
4.3 अर्धदण्ड		
4.4 अन्य प्राप्तियां		
(i) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से अनुदान		

- (ii) विदेशी दानदाता से अनुदान
- (iii) निविदा प्रपत्रों का विक्रय
- (iv) आदेशिका शुल्क (Processing Fee)
- (v) जमा राशियों पर व्याज
- (vi) प्रतिलिपि प्रमाणीकरण शुल्क
- (vii) विविध प्राप्तियां
- (viii) समाचार-पत्र रद्दी का विक्रय
- (ix) केन्द्रीय शासन से अनुदान
- (x) उपार्जित आय को (To Accrued Income)

4.5 अन्य कोई आय (उल्लेख करें)

5. विनियोग से (निधि को अन्तरित विशेषांकित/स्थायी निधि पर विनियोग से आय).

6. रायल्टी, (Royalty), प्रकाशन (Publication) आदि से

6.1 स्वामित्व

6.2 प्रकाशन

7. व्याज से

7.1 जमा राशियों पर व्याज (उल्लेख करें)

7.2 ऋणों तथा अग्रिम पर व्याज

7.3 विनियोग पर व्याज

7.4 बैंक में जमा राशि पर व्याज

7.5 अन्य कोई (उल्लेख करें)

8. अन्य आय से

8.1 चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं

8.2 समाचार-पत्रों का विक्रय

8.3 उपहार

8.4 परिसम्पत्तियों के विक्रय से लाभ

8.5 स्टाफ कार से वसूलियां

9. आय पर व्यय से आधिक्य द्वारा

(पूँजीगत निधि लेखा को अन्तरित)

10. योग (क)

व्यय

1. वेतन तथा भत्ते

1.1 अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते

1.2 अधिकारियों तथा स्थापना के वेतन तथा भत्ते.

- 1.3 कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते
- 1.4 मानदेय (Honorarium)
- 1.5 अधिसमय भत्ता (Overtime Allowance)
- 1.6 चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सुविधाएं
- 1.7 बोनस
- 1.8 अन्य कोई स्थापना व्यय (उल्लेख करें)
2. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं को
3. यात्रा व्यय
 - 3.1 घरेलू यात्राएं—अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी
 - 3.2 विदेश यात्राएं—अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी
4. अन्य प्रशासनिक व्यय
 - 4.1 दूरभाष तथा फेक्स
 - 4.2 किराया, दर एवं कर
 - 4.3 समाचार-पत्र/पत्रिकाएं
 - 4.4 विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार
 - 4.5 डाक तथा तार
 - 4.6 वर्दी
 - 4.7 जल प्रदाय एवं विद्युत् प्रदाय
 - 4.8 स्थानीय परिवहन
 - 4.9 अन्य कोई व्यय (उल्लेख करें)
5. स्टेशनरी एवं मुद्रण
 - 5.1 स्टेशनरी
 - 5.2 मुद्रण
6. प्रकाशन
7. विविध एवं अन्य व्यय
 10. मरम्मत तथा संधारण को
 - 8.1 भवन
 - 8.2 मशीनरी तथा उपकरण
 - 8.3 फर्नीचर तथा फिक्सचर्स
 - 8.4 वाहन
9. पेट्रोल, तेल एवं लुब्रिकेन्ट्स (पी.ओ.एल.)
10. अतिथि सत्कार
11. अंकेक्षण शुल्क
12. विधि-प्रभारों

13. भविष्य निधि एवं अन्य अंशदान

13.1 पेंशन तथा उपादान (लघुकृत पेंशन के मूल्य को सम्मिलित करते हुए).

13.2 अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) के अंशदान हेतु.

13.3 जमा संबद्ध बीमा योजना (Deposit Linked Insurance Scheme).

13.4 पेंशन अंशदान

13.5 अवकाश वेतन अंशदान

13.6 उपादान अंशदान

14. ब्याज

14.1 सामान्य भविष्य निधि (GPF) पर ब्याज.

14.2 अंशदायी भविष्य निधि (CPF) पर ब्याज.

14.3 अन्य (उल्लेख करें)

15. समूह बीमा योजना

15.1 केन्द्रीय शासन कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) बचत निधि
—बीमा निधि

15.2 केन्द्रीय शासन कर्मचारी बीमा योजना (CGEIS) बचत निधि
—बीमा निधि

16. अभयमूल्यन (Depreciation)

17. परिसम्पत्तियों के विक्रय पर हानि

18. डूबन्त-ऋणों (Bad Debts) का अपलेखन

19. व्यय से अधिक आय पर आधिक्य को (पूँजीगत निधि लेखा को अन्तरित)

20. बकाया व्यय

21. योग (ख)

योग

लेखाधिकारी

आयोग सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

तिथि

भोपाल

प्ररूप-स

संस्था का नाम : मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
तुलन-पत्र (Balance Sheet) दिनांक की स्थिति में

(राशि रुपये में)

निकाय (Corpus)/पूँजीगत निधि (Capital Fund) तथा दायित्व (1)	अनुसूची (2)	चालू वर्ष (3)	पूर्व वर्ष (4)
1. निकाय/पूँजीगत निधि	1		
2. अन्य निधियां			
2.1 भविष्य निधियां			
2.2 अन्य (उल्लेख करें)			
3. रक्षित निधि तथा वचत (Reserves and Surplus)	2		
4. प्रयोजन-विशिष्ट (Earmarked) स्थायी निधि (Endowment Fund)	3		
5. सुरक्षित ऋण तथा उधार (Secured Loans and borrowings)	4		
6. असुरक्षित ऋण तथा उधार (Unsecured Loans and borrowings)	5		
7. चालू दायित्व तथा प्रावधान	6		
योग :			
परिसम्पत्तियां (Assets)			
1. स्थाई परिसम्पत्तियां (Fixed Assets)	7		
2. मुख्य निर्माणाधीन कार्य (Capital works in progress)			
3. विनियोग-मप्र विनिआ को प्रयोजन विशिष्ट/स्थायी निधि से	8		
4. विविध ऋण प्राप्तकर्ता			
5. चालू परिसम्पत्तियां ऋण तथा अग्रिम	9		
6. रोकड़ तथा बैंक शेष			
6.1 नगद राशि तथा			
6.2 बैंक शेष राशि			
6.3 कोषालय में			
6.4 हस्तस्थ चेक/ड्राफ्ट			
6.5 अग्रदाय (imprest) राशि			
7. विविध व्यय (उस सीमा तक जहां तक उन्हें अपलेखित नहीं किया गया है)			
योग :			

लेखाधिकारी

आयोग सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

तिथि

भोपाल

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

अनुसूची जो तुलन-पत्र (Balance-Sheet) का एक भाग है जैसा कि
इसे दिनांक को दर्शाया गया है

अनुसूची-1 निकाय/पूँजीगत निधि (Corpus/Capital Fund)

सं. क्र. (1)	विवरण (2)	चालू वर्ष (3)	पूर्व वर्ष (4)
1	वर्ष के प्रारंभ में शेष		
2	जोड़ें : निकाय/पूँजीगत निधि हेतु अंशदान		
3	जोड़ें/(घटायें) : आय तथा व्यय लेखे से अन्तरित किया गया शुद्ध आय/(व्यय) का शेष		
4	वर्ष के अंत में शेष		

लेखाधिकारी
आयोग सचिव
सदस्य
अध्यक्ष

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

अनुसूची जो तुलन-पत्र (Balance-Sheet) का एक भाग है जैसा कि
इसे दिनांक को दर्शाया गया है

अनुसूची-2 रक्षित निधि तथा वचत (Reserves and Surplus)

विवरण (1)	चालू वर्ष (2)	पूर्व वर्ष (3)
--------------	------------------	-------------------

- पूँजीगत रक्षित निधि (Capital Reserve)
पूर्व वर्ष के लेखे के अनुसार
वर्ष के दौरान जोड़े गये
घटायें : वर्ष के दौरान घटायें गये
- पुनर्मूल्यांकन रक्षित निधि (Revaluation Reserve) पूर्व
वर्ष के लेखे के अनुसार
वर्ष के दौरान जोड़े गये
घटायें : वर्ष के दौरान घटायें गये
- विशेष रक्षित निधियां (Special Reserves)
पूर्व वर्ष के लेखे के अनुसार
वर्ष के दौरान जोड़े गये
घटायें : वर्ष के दौरान घटायें गये
- सामान्य रक्षित निधि (General Reserves)
पूर्व वर्ष के लेखे के अनुसार
वर्ष के दौरान जोड़े गये
घटायें : वर्ष के दौरान घटायें गये

योग :

लेखाधिकारी
आयोग सचिव
सदस्य
अध्यक्ष

तिथि
भोपाल

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

अनुसूची जो तुलन-पत्र (Balance-Sheet) का एक भाग है जैसा कि

इसे दिनांक को दर्शाया गया है

अनुसूची-3 प्रयोजन विशिष्ट/स्थाई निधियां (Earmarked/Endowment Funds)

(राशि रुपये में)

(1)	निधि कक (2)	निधि खख (3)	निधि गग (4)	निधि घघ (5)	चालू वर्ष (6)	पूर्व वर्ष (7)
(क) निधियों का प्रारंभिक शेष						
(ख) निधियों में वृद्धियां						
(i) दान/अनुदान						
(ii) निधियों के लेखे पर किये गये विनियोग से आय						
(iii) अन्य वृद्धियां (इनके स्वरूप का उल्लेख करें)						
योग (क+ख)						
(ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोगिता/व्यय						
(i) पूंजीगत व्यय						
— स्थाई परिसम्पत्तियां						
— अन्य						
योग						
(ii) राजस्व व्यय						
— वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि						
— किराया						
— अन्य प्रशासनिक व्यय						
योग						
योग (ग)						
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख+ग)						

टिप.— 1. अनुदानों के साथ संलग्न शर्तों के आधार पर सुसंगत शीर्ष के अंतर्गत आंकड़े प्रकट किये जावेंगे.

2. केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त की गई योजना निधियां (Plan Funds) को पृथक् निधियों के रूप में दर्शाया जावे तथा इन्हें अन्य निधियों के साथ मिश्रित न किया जावे.

लेखाधिकारी आयोग सचिव सदस्य अध्यक्ष

तिथि

भोपाल

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

अनुसूची जो तुलन-पत्र (Balance Sheet) का एक भाग है जैसा कि

इसे दिनांक को दर्शाया गया है

अनुसूची-4 सुरक्षित ऋण तथा उधार (Secured Loans and Borrowing)

(राशि रुपये में)

विवरण (1)	चालू वर्ष (2)	पूर्व वर्ष (3)
1. केन्द्रीय शासन		
2. राज्य शासन (उल्लिखित करें)		

3. वित्तीय संस्थान
(क) मियादी ऋण
(ख) उपार्जित ब्याज तथा देय
(Interest Accrued and due)
4. बैंक
(क) मियादी ऋण
—उपार्जित ब्याज तथा देय
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)
—उपार्जित ब्याज तथा देय
5. अन्य संस्थान (Institutions) तथा
अभिकरण (Agencies)
6. ऋण-पत्र (Debentures) तथा ऋण
7. अन्य (उल्लेख करें)

योग :

टीप : एक वर्ष के अंदर देय राशियां

लेखाधिकारी

आयोग सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

तिथि
भोपाल

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

अनुसूची जो तुलन-पत्र (Balance-Sheet) का एक भाग है जैसा कि
इसे दिनांक को दर्शाया गया है

अनुसूची-5 असुरक्षित ऋण तथा उधार (Unsecured Loans and Borrowing)

(राशि रुपये में)

विवरण (1)	चालू वर्ष (2)	पूर्व वर्ष (3)
1. केन्द्रीय शासन		
2. राज्य शासन		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक (क) मियादी ऋण (ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थान (Institutions) तथा अभिकरण (Agencies)		
6. ऋण-पत्र (Debentures) तथा बन्ध पत्र (Bonds)		
7. मियादी जमा राशियां (Fixed Deposits)		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
योग :		

टीप : एक वर्ष के अंदर देय राशियां

लेखाधिकारी

आयोग सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

तिथि
भोपाल

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

अनुसूची जो तुलन-पत्र (Balance Sheet) का एक भाग है जैसा कि

इसे दिनांक को दर्शाया गया है

अनुसूची-6 चालू दायित्व तथा प्रावधान (Current Liabilities and Provisions)

(राशि रुपये में)

विवरण (1)	चालू वर्ष (2)	पूर्व वर्ष (3)
--------------	------------------	-------------------

(क) चालू दायित्व

1. स्वीकृतियां
2. विविध ऋण दाता
3. प्राप्त की गई अग्रिम राशियां
4. उपार्जित व्याज जो निम्न हेतु देय नहीं है :
 - (अ) सुरक्षित ऋण/उधार (Borrowings)
 - (ब) असुरक्षित ऋण/उधार (Borrowings)
5. सांविधिक दायित्व
 - (अ) विलम्बित देय
 - (ब) अन्य
6. अन्य चालू दायित्व

योग (क)

(ख) प्रावधान

1. करारोपण हेतु
2. उपादान (Gratuity)
3. अधिवार्षिकी/पेंशन
4. संचित अवकाश नगदीकरण
5. अन्य (उल्लेख करें)

योग (ख)

योग (क+ख)

लेखाधिकारी

आयोग सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

तिथि

भोपाल

मध्यप्रदेश विपुल निष्पन्न आयोग
अनुसूची के तुरन्त-स (Balance Sheet) का एक भाग है जिस कि
इसे दिनांक ————— को दर्शाया गया है
अनुसूची-7 स्थाई परिसम्पत्तियां (Fixed Assets)

परिसम्पत्ति वर्ग	सकल खण्ड				अवमूल्यन					शुद्ध खण्ड		
	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान की गई वृद्धियां	वर्ष के दौरान की गई	पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के अन्त में	पूर्व वर्ष के अन्त में	वर्ष के दौरान अवमूल्यन	कटौतियां किये जाने पर	पुनर्वर्गीकरण	वर्ष के अन्त में	वर्ष के अन्त में	पूर्व वर्ष के अन्त में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
भूमि तथा भूमि अधिकार												
भवन												
संयंत्र तथा मशीनरी												
वाहन												
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स												
कार्यालय												
उपकरण												
अन्य परिसम्पत्तियां												
योग												
पूर्व वर्ष हेतु												
योग :												

टीप.—1. पूर्व वर्ष के आंकड़े, प्रत्येक आंकड़े के नीचे कोष्टक में दर्शाये जाने चाहिये.

2. टीप के माध्यम से यह प्रकट करें कि "वर्ष के दौरान रुपये सकल खण्ड, (Gross Block), लघु तथा न्यून मूल्य परिसम्पत्तियां, जिसमें प्रत्येक की लागत रुपये 5,000/- है, आय तथा व्यय लेखा को प्रभावित नहीं दर्शाते जो वर्ष के दौरान रुपये हैं".

लेखाधिकारी
 तिथि
 भोपाल

आयोग सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
अनुसूची जो तुलन-पत्र (Balance Sheet) का एक भाग है जैसा कि
इसे दिनांकको दर्शाया गया है

अनुसूची-8 : प्रयोजन विशिष्ट/स्थाई निधियों से विनियोग (Investment from Earmarked/Endowment funds)

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. शासकीय प्रतिभूतियां		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. अंशदान (शेयर)		
4. ऋण-पत्र (Debenture) तथा बंध-पत्र (बांड)		
5. सहायक कम्पनियों तथा संयुक्त उपक्रम		
6. अन्य (उल्लेख करें)		

योग :

लेखाधिकारी
तिथि
भोपाल.

आयोग सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

अनुसूची जो तुलन-पत्र (Balance Sheet) का एक भाग है जैसा कि
इसे दिनांकको दर्शाया गया है

अनुसूची-9 : चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (Current Assets; Loans and Advances etc.)

(राशि रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
-------	-----------	------------

(अ) चालू परिसम्पत्तियां :

1. सामग्री की सूची (Inventories)

(क) भण्डार तथा कल-पुर्जे (Stores and Spares)

(ख) खुले हुए उपकरण (Loose Tools)

(ग) व्यापार में संलग्न सामग्री—

(i) निर्मित वस्तुएं (Finished Goods)

(ii) निर्माणाधीन कार्य (Work-in-Progress)

(iii) कच्ची सामग्री (Raw materials)

2. विविध ऋणदाता (Sundry Debtors)

(क) वे ऋण जिनकी अदायगी 6 माह से अधिक अवधि से विलंबित है

(ख) अन्य

1. शुद्ध शेष तथा बैंक शेष [धनादेश चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय (इम्प्रेस्ट) को सम्मिलित कर]

(क) हस्तस्थ नगद राशि

(ख) बैंक शेष राशि

(i) अनुसूचित बैंकों में

— चालू खातों पर

— जमा खातों पर [इसमें लागतोपरि राशि (margin Money) सम्मिलित है]

— बचत खातों पर

(iii) कोषालय में

(iv) हस्तस्थ धनादेश (चेक)/ड्राफ्ट

(v) इम्प्रेस्ट लेखा

योग (अ) :

(ब) प्राप्ति, अग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां :

1. भूगण

(क) पदाधिकारियों को प्रदत्त किये गये

(ख) अन्य इकाईयों को प्रदान किये गये, जो कि इकाई के समकक्ष गतिविधियों में संलग्न हैं.

(ग) अन्य (उल्लेख करें)

2. अग्रिम तथा अन्य राशियां जिनकी वसूली नगद में अथवा माल के रूप में (in-kind) अथवा उनके मूल्य के बराबर प्राप्त किया जाना है.

(क) पूंजीगत लेखा पर

(ख) पूर्व भुगतान (Prepayments) पर

(ग) अन्य

3. उपाजित आय

(क) प्रयोजन विशिष्ट / स्थाई निधियों से विनियोग पर (On investment from earmarked/endowment Funds)

(ख) विनियोगों पर—अन्य

(ग) ऋणों तथा आगमियों पर

(घ) अन्य (इसमें सम्मिलित है, वह आय जिसकी वसूली की जाना शेष है—रुपये)

4. प्राप्ति योग्य दावे

5. जमा राशियां

योग (ब) :

योग (अ+ब) :

लेखाधिकारी

आयोग सचिव

सदस्य

अध्यक्ष

तिथि

भोपाल

व्यय शीर्षों की खाताबही सूची

1 11

ए. 001

बी. 003

सी. 006

वेतन, भत्ते

वेतन

महंगाई भत्ता

गृह भाड़ा भत्ता

		डी.	008	अन्य भत्ते
		ई.	009	चिकित्सा प्रतिपूर्ति
		एफ.	010	अवकाश यात्रा सुविधा
		जी.	011	त्यौहार अग्रिम
		एच.	016	अनाज अग्रिम
		आई.	018	चिकित्सा अग्रिम
2	12			पारिश्रमिक
		i		अधिसमय भत्ता
		ii		अन्य स्थापना प्रभार
		iii		कर्मचारी कल्याण व्यय
3	21			यात्रा भत्ता
		i		यात्रा भत्ता, भ्रमण (Tour) आदि पर
		ii		विदेश यात्राएं
		iii		घरेलू यात्राएं
		iv		स्थानीय परिवहन व्यय
4	22			कार्यालय व्यय
		001		डाक एवं तार व्यय
		001		दूरभाष व्यय
		003		फर्नीचर तथा कार्यालय उपकरण
		004		पुस्तकें तथा नियतकालिक पत्रिकाएं
		005		विद्युत् तथा जलप्रदाय प्रभार
		006		वर्दियां
		007		मुद्रण, स्टेशनरी तथा प्रपत्र/प्ररूप
		009		पेट्रोल, आईल, लुब्रिकेन्ट्स (पी.ओ.एल.)
		011		भाड़ा, कर, स्थानीय कर
5	24			परीक्षाएं तथा प्रशिक्षण
		001		परीक्षाएं
		002		प्रशिक्षण
6	26			विचार गोष्ठी (Seminar), कार्यशाला (Workshop), सम्मेलन (Conference)
7	31			व्यावसायिक सेवाओं हेतु भुगतान
		03		अभिभाषकों को शुल्कों का भुगतान
8	33			संधारण कार्य
		01		स्थायी परिसम्पत्तियों का संधारण
9				ऋणों की अदायगी
10	34			सामग्री तथा सामग्री प्रदाय
		001		सामग्री का क्रय
11				अन्य प्रशासनिक व्यय
		(i)		समाचार-पत्र/नियतकालिक पत्रिकाएं
		(ii)		वर्दी (Liveries)
		(iii)		अन्य (उल्लेख करें)

- 13 प्रकाशन
- 13 विविध एवं अन्य व्यय
- 14 सम्पत्ति एवं संधारण
 - (i) भवन
 - (ii) मशीनरी तथा उपकरण
 - (iii) फर्नीचर तथा फिक्सचर्स
 - (iv) वाहन
- 15 अतिथि-सत्कार व्यय
(Hospitality Expenses)
- 16 अंशदान शुल्क
- 17 विधि संबंधी प्रभार (Legal Charges)
- 18 भविष्य निधि तथा अन्य अंशदान—
 - (i) पेंशन तथा उपादान (निवृत्ति वेतन की संरक्षि को सम्मिलित करते हुए)
 - (ii) अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में अंशदान
 - (iii) जमा संबद्ध बीमा योजना (Deposit Linked Insurance Scheme)
 - (iv) पेंशन अंशदान
 - (v) अवकाश वेतन अंशदान
 - (vi) उपादान अंशदान
- 19 ब्याज—
 - (i) सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज
 - (ii) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज
 - (iii) अन्य कोई (उल्लेख किया जावे)
- 20 समूह-बीमा योजना—
 - (i) केन्द्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) —वचत निधि
—बीमा निधि
 - (ii) केन्द्रीय शासन कर्मचारी बीमा योजना (CGEIS) —वचत निधि
—बीमा निधि
- 21 अवमूल्यन
- 22 परिसम्पत्तियों के विक्रय पर हानि
- 23 डूबन्त ऋणों की वापसी
- 24 व्यय से अधिक आय पर आधिक्य (पूँजीगत निधि लेखा को अन्तर्गत)
- 25 बकाया शेष व्यय
- 26 ऋणों की अदायगी
- 27 पदाधिकारियों को अग्रिम प्रदाय
 - (i) गृह निर्माण अग्रिम
 - (ii) मोटर कार/व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम

- (iii) स्कूटर/मोटर सायकल अग्रिम
 - (iv) आकस्मिक अग्रिम
 - (v) लोक निर्माण विभाग को अग्रिम
 - (vi) सामग्री प्रदायकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम
 - (vii) अन्य अग्रिम राशियां (उल्लेख किया जावे)
- 28 अंशदान—
- (i) पेंशन तथा उपादान
 - (ii) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान
 - (iii) अन्य अंशदान (उल्लेख किया जावे)
- 29 स्थाई परिसम्पत्तियों तथा मुख्य निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय—
- (i) भूमि
 - (ii) भवन
 - (iii) फर्नीचर तथा फिक्सचर्स
 - (iv) मशीनरी तथा उपकरण
 - (v) मोटर वाहन
 - (vi) पुस्तकें तथा प्रकाशन
 - (vii) अन्य (उल्लेख किया जावे)
- 30 अन्य समायोजन/विप्रेषण (Remittances)
- (क) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ पदाधिकारियों से सामान्य भविष्य निधि / अंशदायी भविष्य निधि, आदि से वसूली.
 - (ख) अनुज्ञप्ति शुल्क
 - (ग) आयकर
 - (घ) विक्रय कर
 - (ङ) केन्द्रीय शासन स्वास्थ्य योजना (CGHS)
 - (च) डाक जीवन बीमा
 - (छ) केन्द्रीय शासन कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS)/केन्द्रीय शासन कर्मचारी बीमा योजना (CGEIS)
 - (ज) गृह निर्माण अग्रिम
 - (झ) मोटर कार/कम्प्यूटर अग्रिम
 - (ञ) स्कूटर/मोटर सायकल अग्रिम
 - (त) अन्य वसूलियां (उल्लेख किया जावे)
- 31 अन्य प्रशासनिक व्यय—
- (i) विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार
 - (ii) ढुलाई एवं अग्रेषण प्रभार
 - (iii) संवेष्टन (पैंकिंग) प्रभार
 - (iv) अभिदाता व्यय
 - (v) मजदूरी तथा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) प्रभार
 - (vi) आन्तरिक ढुलाई एवं परिवहन
 - (vii) बीमा उत्पादन शुल्क
 - (viii) अवसूली के योग्य बकाया राशियों का अपलेखन
 - (ix) अन्य (उल्लेख किया जावे)
- 32 विनियोग तथा जमा की गई धनराशि—
- (i) जमा की गई धनराशि
 - (ii) जमा की गई धनराशि—
 - (क) प्रतिभूति निक्षेप
 - (ख) धरोहर राशि

11

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक ० गिशाखी २००३

प्ररूप-छ
मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल

शुल्क पंजी (Fee Register) हेतु प्रारूप

[illegible]

प्राप्ति शीर्षों की खाता बही (Ledger) सूची

1. राज्य शासन से सहायता अनुदान (Grant-in-Aid)
2. शासन से ऋण
3. यात्रिका शुल्क
4. अनुज्ञप्ति शुल्क
5. अर्धदण्ड को
6. विनियोग
 - (i) विनियोग की भुनाई से अंकित मूल्य
 - (ii) विनियोग पर व्याज
7. ऋण/निक्षेप प्राप्तियां :
 - (क) पदाधिकारियों से अग्रिम की वसूली—
 - (i) गृह निर्माण अग्रिम
 - (ii) मोटर कार/निजी कम्प्यूटर अग्रिम
 - (iii) स्कूटर/मोटर सायकल अग्रिम
 - (iv) अन्य अग्रिम (उल्लेख किया जावे)
 - (v) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ पदाधिकारियों को सामान्य भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति.
 - (ख) आकस्मिक अग्रिम की वसूली—
 - (i) लोक निर्माण विभाग को अग्रिम
 - (ii) सामग्री प्रदायकर्ताओं को अग्रिम
 - (iii) अन्य अग्रिम (उल्लेख किया जावे)
8. अन्य निक्षेप राशियां—
 - (i) प्रतिभूति निक्षेप
 - (ii) धरोहर राशि निक्षेप
 - (iii) अन्य कोई निक्षेप (उल्लेख किया जावे)
9. विप्रेषण/प्राप्तियां (To Remittances / Receipts)—
 - (क) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ पदाधिकारियों से वसूली
 - (ख) अनुज्ञप्ति शुल्क
 - (ग) आयकर
 - (घ) अधिभार
 - (ङ) विक्रय कर
 - (च) केन्द्रीय शासन स्वास्थ्य योजना (CGHS)
 - (छ) डाक जीवन बीमा
 - (ज) केन्द्रीय शासन कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS)
 - (झ) अन्य वसूलियां (उल्लेख किया जावे)

10. अन्य प्राप्तियां—

- (i) पॉवर फायनेंस कार्पोरेशन से अनुदान
- (ii) विदेशी दानकर्ता द्वारा अनुदान
- (iii) निविदा प्रपत्रों का विक्रय
- (iv) आदेशिकां शुल्क
- (v) निक्षेपों पर ब्याज
- (vi) प्रमाणित प्रतिलिपि शुल्क
- (vii) विविध प्राप्तियां
- (viii) समाचार-पत्रों की रद्दी का विक्रय
- (ix) केन्द्र शासन से अनुदान
- (x) चिकित्सा स्वास्थ्य-देखभाल प्रसुविधाएं
- (xi) उपहार (Gifts)
- (xii) परिसम्पत्तियों के विक्रय से लाभ

11. विचार-गोष्ठियां तथा सम्मेलन

12. परामर्श

13. स्वत्व शुल्क (Royalty) तथा प्रकाशन

13.1 स्वत्व शुल्क

13.2 प्रकाशन